न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/11/2018

किशन गोपाल उचित मूल्य दुकानदार धाना ग्राम पंचायत,सज्जनबास तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश 99/2016 जिला रसद अधिकारी, भरतपुर दिनांक 29–12–2017

उपस्थित :–
श्री विमल सिंह अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक 28.05.2019**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 29–12–2017 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषाक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्व है। उनका कहना है कि तहत न्यायालय अपने आदेश में किसी भी प्रकार से कोई आरोप अपीलान्ट सिद्व नहीं किये हैं और ना हीं अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार से किसी भी आरोप को सिद्ध मानने के लिये कोई विवेचन किया गया है। अपीलान्ट का लाईसेंस दिनांक 25.01.2017 को निलम्बित किया गया था उसके बाद दिनांक 22.05.2017 को लाईसेंस को बहाल कर दिया था। जिस पर अपीलांट द्वारा उसके केस को यहीं समाप्त हुआ मान लिया गया था। उक्त प्रकरण विचारधीन होने बाबत तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई सूचना नोटिस नहीं दिये गये जिस कारण अपीलांट अपनी पैरवी नहीं कर सका। तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलांट आदेश अपीलांट से प्रज्यूडीश होने के कारण दिनांक 29.12.2017 को पारित कर लाईसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही दुर्भावना प्रतीत होती है। अपीलांट जब 22.02.2018 को किसी कार्यवश तहत न्यायालय में आया तो बताया कि आपका लाईसेंस दिनांक 29.12.2017 को निरस्त किया जा चुका है। और अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई गबन नहीं किया है। अपीलांट के खिलाफ निर्णय जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा यह कथन किया है कि राशनकार्डों में कई स्थानों पर खाद्यान्न का वितरण दर्ज नहीं है। तथा उपभोक्ताओं को गेंहू नहीं मिलना बताया । इस बात की शिकायत की है। राशनकार्डों के वितरण के इन्द्राज को पोश मशीन के माध्यम से करने की रिपोर्ट करने पर पाया कि उक्त सभी उपभोक्ताओं को कैरोसीन के वितरण के साथ गेंहू का वितरण कर दिया जो उपभोक्ताओं को नही दिया गया है। तहत न्यायालय को अगर कोई सन्देह था उन्हें सम्बन्धित उपभोक्ताओं को तलब कर बयान वगेरा लेने चाहिये थे। तहत न्यायालय ने मात्र प्रस्तुत प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार देना कानून गलत है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को आनलाईन वितरण किया गया है। केवल कुछ उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं होने मात्र से अपीलान्ट को दोषी नहीं माना जा सकता है जब कि सम्बन्धित उपभोक्ता ने अपने बयान में सामग्री प्राप्त करना स्वीकार किया है। राज. सरकार द्वारा आनलाईन से वितरण सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा अपना अगूंठा निशान लगाये जाने के उपरान्त ही सामग्री वितरण होता है उसका मैसेज सम्बन्धित उपभोक्ता के मोबाईल पर जाता है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब ही लागू होता है जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। यहॉ सामग्री नहीं मिलने की झूठी शिकायत की गई थी। अपीलान्ट पर कोई कालाबाजारी या गबन करने का कोई गंभीर आरोप नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच शिकायत पर की गई जांच में बताया कि राशनकार्डों में कई स्थानों पर खाद्यान्न का वितरण दर्ज नहीं है तथा उपभोक्ताओं को गेंहू नहीं मिलना बताया। इस बात की शिकायत की है। राशनकार्डों के वितरण के इन्द्राज को पोश मशीन के माध्यम से करने की रिपोर्ट करने पर पाया कि उक्त सभी उपभोक्ताओं को कैरोसीन के वितरण के साथ गेंहू का वितरण कर दिया जो उपभोक्ताओं को नही दिया गया है। राशनकार्डों में इन्द्राज नहीं मिलना तथा खुद इन्द्राजों का इन्द्राजो से भिन्न आनलाईन रिकोर्ड होना पाया गया तथा जांचे गये राशनकार्ड नं0 090 में 50 किलो, राशनकार्ड नं0 160 में 60 किलो, राशनकार्ड नं0 098 में 40 किलो, राशनकार्ड नं0 036 में 20 किलो, राशनकार्ड नं0 214 में 90 किलो , राशनकार्ड नं0 119 में 50 किलो, राशनकार्ड नं0 116 में 40 किलो व राशनकार्ड नं0 007535300118 में 60 किलो कुल 08 राशनकार्डो के आधार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर 440 किलो गेंहू दूरूपयोग करना पाया गया। जो शिकायत के तथ्यों की पुष्टि करता है। न्यायालय ने उचित आदेश पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28–5–2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official